(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 95-एक/1991 विरूद्ध आदेश दिनांक 4-9-1990 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 94/1986-87/निगरानी ।

1-ओंकार पिता पूंजराज अहीर
2-घीसीलाल पिता बोन्दर अहीर
निवासीगण ग्राम भीकनगांव
जिला खरगोन

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-फत्तू पिता भोलु अहीर
2-किशन पिता भोलु अहीर
3-बाउ पिता बोन्दर अहीर
निवासी गण ग्राम सेलदा तह0 भीकनगांव
जिला खरगोन

.....अनावेदक

श्री बी0के0गुप्ता, अभिभाषक-आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-9-1990 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक बाउ पिता बोन्दर अहीर ने तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अधीन अपने में खेत में जाने के लिये रास्ता खुला करने हेतु आवेदक के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें इस न्यायालय से अंतिम रूप से निर्णय होकर रास्त खुला करने के आदेश दिये गये हैं । तदानुसार अनावेदक ने तहसीलदार को राजस्व न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन में रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन पेश किया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनावेदक की अनुपस्थित में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया । आवेदक द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण पुन: पुर्नस्थापित किये जाने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला खरगोन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो निरस्त की गई। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4-9-1990 को आदेश पारित कर निगरानी खारिज की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैष्ठित अधिकारों का उपयोग नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नॉन युसर ऑफ जूरीडिक्शन के स्वरूप का होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अनुमति के आधार पर आदेश देने में भूल की गई है । यह भी कहा गया कि प्रकरण में विवादित प्रश्न है कि जिन अधिवक्ता को मूल प्रकरण में सभी पक्षकारों द्वारा नियुक्त किया गया हो, क्या उनके द्वारा पुन: स्थापना के प्रकरण में किसी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता पत्र देने पर क्या अन्य पक्षकारों को सूचना पत्र का हक समाप्त हो जाता है व प्रकरण को सभी पक्षकारों को जोडने का नॉन जाइंडर ऑफ पार्टीज की बाधा नहीं रह जाती । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित पक्षकार व अभिभाषक द्वारा प्रतिनिधित्व से उपस्थित पक्षकार एक ही श्रेणी के है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण अनावेदक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज करने के उपरांत अनावेदक के उपस्थित होने पर न्यायहित में प्रकरण उसी दिन सुनवाई हेतु रेस्टोर्ड किया, जिसमें कोई अनियमितता नहीं

परिलक्षित नहीं होती है इसलिये कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत् रखा गया है वैसे भी इस विषय पर यह तीसरी निगरानी है, जिसका कोई औचित्य नहीं है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-9-1990 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर